5 रु. भारत पाँच रुपये 5 रु. भारत पाँच रुपये 5 रु. भारत पाँच रुपये 5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

CANCELLED. CANCELLED.

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प, सागर म.प्र.

निग.प्र.क्र.- निग/2986/II/15 वर्ष 2014-15

237 / 25-8-15

1. मदारी कुम्हार तनय स्व. श्री गुरूवा उर्फ गोरा
2. हुलुवा उर्फ हुल्लू तनय स्व. गुरूवा उर्फ गोरा कुम्हार
3. मरिया तनय स्व.श्री गुरूवा उर्फ गोरा कुम्हार

सभी निवासी ग्राम बरियारपुर कुर्मियान तह. अजयगढ़ जिला पन्ना म.प्र.

.. निगरानीकर्तागण

B.O.R.

11 AUG 2015

// विरूद्ध //

1 गुदिया पुत्री स्व.गुरूवा उर्फ गोरा पत्नि किशोरा कुम्हार
हाल निवासी ग्राम सुनहरा तह. अजयगढ़ जिला पन्ना म.प्र.

2. मुसा0 भुन्ता बेवा बुक्कू कुम्हार

3. तिजवा पिता बुक्कू कुम्हार
निवासी ग्राम बरियारपुर कुर्मियान हाल निवासी दशरथपुरवा तह. चंदला जिला छतरपुर म.प्र.

4. भैरव पिता बुक्कू कुम्हार हाल निवासी दशरथपुरवा तह. चंदला, जिला छतरपुर म.प्र.

5. सेवक तनय बुक्कू कुम्हार, सा. ग्राम बरियापुर कुर्मियान तह. अजयगढ़ जिला पन्ना म.प्र.

6. श्रीमति रानी पुत्री बुक्कू कुम्हार पत्नि धनपत कुम्हार निवासी-
रानीपुर तह. नरैनी जिला बांदा (उ.प्र.)

7. श्रीमति माया पुत्री बुक्कू पत्नि मातादीन कुम्हार सा. ग्राम इटवा तह. नरैनी जिला बांदा उ.प्र.

8. लाल बहादुर पिता स्व. बुक्कू कुम्हार सा. ग्राम बरियापुरकुर्मियान तह. अजयगढ़ जिला पन्ना म.प्र.

.. अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू. रा. संहिता 1959.

निगरानी विरूद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी, अजयगढ़ जिला

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 2986–2/2015 **जिला** पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश मदारी/गुदिया	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1 –12–2015	आवेदक के विद्वान अभिभाषक श्री अनिल कुमार पाठक उपस्थित । उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता एवं धारा 5 पर सुना गया । प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता द्वारा वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमों में अंकित है जिन्हें यहां दुहराये जाने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु उन पर विचार किया जा रहा है । निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों का एवं अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक–30.12.2003 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया । अवलोकन से पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक–30.12.2003 से प्रकरण सभी हितबद्ध व्यक्तियों को पक्षकार के रूप में संयोजित कर उन्हें विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया है, जहां उन्हें अपना पक्ष समर्थन करने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है । अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आक्षेपित आदेश से वर्तमान में किसी भी पक्ष के हित प्रभावित हुए हों ऐसा भी परिलक्षित नहीं हो रहा है । अतः उपरोक्त परिस्थितियों में विचारोपरांत प्रकरण में ग्राहयता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है । पक्षकार सूचित हों । प्रकरण दा.रि. हो । सदस्य 1-12	